प्रेस विज्ञप्ति

24.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने **मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड** द्वारा "टॉरेस ज्वैलरी" ब्रांड नाम से संचालित धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई और जयपुर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए और मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड (टॉरेस ज्वैलरी) और उसके सहयोगियों से जुड़े कुल 21.75 करोड़ रुपये के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया।

ईडी ने मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और सहयोगियों के खिलाफ एपीएमसी पुलिस स्टेशन, वाशी, नवी मुंबई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों, सदस्यों और प्रबंधकों ने निवेशकों को सोने, चांदी, हीरे के आभूषणों और रत्नों में निवेश पर 2% से 9% साप्ताहिक तक उच्च रिटर्न का वादा करके लुभाया। योजनाओं ने नए निवेशकों की भर्ती के लिए बोनस की पेशकश भी की, जिससे अधिक पीड़ितों को आकर्षित करने के लिए एक रेफरल सिस्टम बनाया गया। मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ने सिंथेटिक मोइसैनाइट पत्थरों को हीरे के बराबर उच्च मूल्य वाले निवेश के रूप में बेचा। इन पत्थरों को भविष्य में उनके मूल्यवृद्धि के बारे में निवेशकों को गुमराह करते हुए बढ़ी हुई कीमतों पर बेचा गया। कंपनी ने सेमिनार आयोजित किए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन दिया और ग्राहकों को कार और महंगे मोबाइल फोन सहित लक्जरी पुरस्कारों के साथ लुभाने के लिए बिना लाइसेंस के लकी ड्रॉ आयोजित किए। मुंबई और ठाणे में मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और सहयोगियों के खिलाफ तीन और एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर, रबोडी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर, जबकि नवघर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर, जिसमें सर्वेश अशोक सुर्वे, विक्टोरिया कोवलेंको, तौफीक रियाज उर्फ जॉन कार्टर (सीईओ), ओलेना स्टोइन और अन्य सहित निदेशकों और सहयोगियों को आरोपी बनाया गया है, शामिल हैं।

ईडी ने मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड और उसके सहयोगियों के कई बैंक खातों की जांच की, जिसमें संदिग्ध लेनदेन और अन्य संस्थाओं से संबंध का पता चला। इन संस्थाओं को किए गए भुगतान की जांच की जा रही है। बैंक खाते की ईडी जांच से पता चला है कि मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के खातों में लल्लन सिंह नामक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न फर्जी संस्थाओं से 13.78 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी और इन निधियों का उपयोग मुंबई में टोरेस ज्वैलरी के व्यवसाय संचालन को स्थापित करने के लिए किया गया था।

ईडी ने मुंबई और जयपुर में कई परिसरों की तलाशी ली, जिसमें मुंबई के उमरखड़ी में मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सर्वेश सुर्वे के आवासीय परिसर और जयपुर के किशनपोल बाजार में मेसर्स जेमेथिस्ट और जयपुर के जौहरी बाजार और मुंबई के कालबादेवी में मेसर्स स्टेलर

ट्रेडिंग कंपनी जैसी संबद्ध संस्थाओं के कार्यालय शामिल हैं। ईडी ने मुंबई के मुलुंड में एक प्रमुख सहयोगी लल्लन सिंह और मुंबई के ओपेरा हाउस में एक संदिग्ध हवाला ऑपरेटर अल्पेश प्रवीणचंद्र खारा के आवासीय परिसरों की भी तलाशी ली, जिसमें धोखाधड़ी वाली योजनाओं से संबंधित और सबूत मिले।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।